बिहार सरकार
सामान्य <u>प्रशासन</u> विभाग

:: **<u>सं क ल्प</u>** ::

पटना–15, दिनांक–

श्री अब्दुल हामिद (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 687/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहुई, नालंदा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 181002 दिनांक 20.03.2014 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया।

श्री हामिद के विरूद्ध आरोप है कि :–

"श्री अब्दुल हामिद द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में कुल 14 (चौदह) ऐसे परिवारों को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी, जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज नहीं था। अन्य व्यक्तियों के बी0पी0एल0 क्रमांक पर गैर बी0पी0एल0 परिवारों को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी, जिसके कारण कुल 14 (चौदह) बी0पी0एल0 परिवार के लोग इंदिरा आवास से वंचित रह गये। साथ ही सरकार को कुल 329400/– रू0 की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।"

विभागीय पत्रांक 14193 दिनांक 15.10.2014 द्वारा श्री हामिद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण किया गया। श्री हामिद द्वारा उक्त के आलोक में अपने पत्रांक 448 दिनांक 28.05.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री हामिद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री हामिद के विरूद्ध बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति के समक्ष विचाराधीन सी0ए0जी0 की कंडिका–4.1.10 के अनुपालन वर्ष 2007–10 से संबंधित आरोप है। श्री हामिद द्वारा आरोपों के संबंध में दिये गये स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि उनके कार्य प्रणाली में पर्यवेक्षण का अभाव है। इनके द्वारा 16 लाभुकों में से 07 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया, किन्तु 09 गैर BPL लाभुकों को जिन्हें पूर्ववती प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रथम किस्त की राशि पूर्व में दी गयी, उनके विरूद्ध जानकारी होने के बाद श्री हामिद द्वारा राशि वसूलने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। यह जानबूझकर मामला दबाने जैसा कृत्य है। श्री हामिद के इस कृत्य के कारण सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। श्री हामिद का यह कृत्य बिहार आचार नियमावली 1965 के नियम–3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

अनुशासनिक प्राधिकार निर्णयानुसार श्री हामिद के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9507 दिनांक 26.08.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19(1) के प्रावधान के तहत नियम–14 में अंकित **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2005–06)** एवं **(ii) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक** का दंड संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री हामिद के पत्रांक 2630 दिनांक 20.09.2021 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री हामिद के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9507 दिनांक 26.08.2021 द्वारा **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2005–06)** एवं **(ii) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक** का दंड को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13706 दिनांक 22.11.2021 द्वारा पूर्ववत् बरकरार रखा गया।

श्री हामिद द्वारा उक्त प्रतिवेदित आरोप एवं दंडादेश को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 2553/2022 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 07.01.2026 को आदेश पारित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"---------- 7. It also transpires to this Court that the charge memo contains different charge, whereas, the punishment order indicates different allegations. As such, the law of the land

(कृ0पृ0उ0)

i.e. Bihar CCA Rules, 2005 is very much clear and categorical that a person can be punished only on the basis of the charge alleged against him. And in the punishment order, the charge alleged in the memo are different from the finding of punishment order. Itis due to this reason, this Court finds that there is merit in the present writ petition and the order of punishment and review order are set aside. This Court also finds that sanction of Indira Awas has not made by the petitioner, and as such, the charge alleged is also not sustainable in the eye of law.

8. Hence, the memo of charge as contained in Letter No. 181002 dated 20.03.2014 and Letter No. 14193 dated 15.10.2014 (annexed as Annexure-1), the punishment order as contained in Memo No. 9507 dated 26.08.2021 (annexed as Annexure-4) and the review order as contained in Memo No. 13706 dated 22.11.2021 (annexed as Annexure-6), all are hereby quashed. The monetary loss which has been caused to the petitioner is hereby directed to be calculated and be paid within three months from the date of production of a copy of this order.

9. Accordingly, with the aforesaid direction, this writ petition stands allowed."

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री हामिद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर निर्गत दंडादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 2553/2022 में दिनांक 07.01.2026 को पारित आदेश की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9507 दिनांक 26.08.2021 एवं संकल्प ज्ञापांक 13706 दिनांक 22.11.2021 को **निरस्त** किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अब्दुल हामिद (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 687/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहुई, नालंदा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9507 दिनांक 26.08.2021 एवं संकल्प ज्ञापांक 13706 दिनांक 22.11.2021 द्वारा अधिरोपित दंडादेश को **निरस्त** किया जाता है।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिबिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(उमेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—2/आरोप—01—33/2014—सा0प्र0— 4965 **/पटना, दिनांक—** 16·3·26

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री अब्दुल हामिद (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), **पत्राचार**—252—हारूण नगर, सेक्टर—02, पोस्ट+थाना—फुलवारी शरीफ, पटना—801505, मो0नं0—7765915551/वरीय पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा—12, 14, 29 एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.3.26

सरकार के अवर सचिव।